विशेष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 67 /2017

तहसीलदार शाहपुरा बनाम भरतमल वगैहर

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 29/9/2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक भू0अ0/2017/ 529 दिनांक 6.6.2017 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण हेतु ग्राम राजपुरा तहसील ाहपुरा के खसरा नम्बर 551/819, 551/3, 552, 554/1, 554/2, 561, 563, 555, 549, 548, 47, 541, 530, 542, 543, 531, 501, 496, 494/1, 494/2, 495, 430, 432, 433, 461, 458, 57, 544, 540, 502, 477, 529, 515, 516, 503/1, 431, 475, 462, 463 में आंशिक भाग में से होकर चालू रास्ते के रूप में काम आने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु करण अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट के तहत पेश किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु न्यायालय हाजा के द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा तथा आपत्ति ार्थना पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थीगण की ओर से मौका कमिश्नर नियुक्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर एव आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर दिनांक 19.7.2017 को तहसीलदार ाहपुरा को आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रति भेजकर मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/18/ 6146 दिनांक 4.9.2018 के द्वारा पोर्ट प्रेषित कर जाहिर किया गया कि आ0ख0नं0 554 की दक्षिणी सीमा पर नजरी नक्शानुसार र्शाया गया कदीमी रास्ता वास्तविक रूप से मौके पर आ0,10नं0 552 व 553 की दक्षिणी सीमा के ास पास है जो कि नक्शे व मौके में अन्तर होने के कारण सहवन से आ0ख0नं0 554 की दक्षिणी ीमा पर नजरी नक्शे में दर्शित कर दिया गया है जो त्रुटियुक्त है। तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी पोर्ट में यह भी जाहिर किया कि कुछ व्यक्ति वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार तथा कुछ व्यक्ति ई सेटलमेन्ट के राजस्व नक्शें के अनुसार रास्ता कटवाना चाहते है इसको लेकर दोनों पक्षों में वाद की स्थिति बनी हुई है। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को पुनः इस कार्यालय के पत्र ांक 436 दिनांक 24.2.2022 के द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रकरण में अपने पत्र कमांक जस्व/22/ 297 दिनांक 5.4.22 के द्वारा टीम गठित कर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रेषित की गई ।उक्त का रिपोर्ट के सम्बन्ध में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट निरस्त कर पुनः मौका रिपोर्ट ाने हेतु निवेदन किया गया । अप्रार्थीगण के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के यहां तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिसके आदेश दिनांक 20.6.2022 के द्वारा प्रकरण में र्थीगण एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत कराने का समुचित अवसर दिया जाकर गावगुण एवं मैरिट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण यथा सम्भव 2 माह में करने के निर्देशित या गया । श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश की पालना में तहसीलदार शाहपुरा दिनांक 5.4.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट उभय पक्ष को सूचित कर तैयार की गई है या नहीं की पोर्ट हेतु लिखा गया तथा उभय पक्ष को नोटिस न्यायालय हाजा से जारी किये गये । हसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक राजस्व/22/ 748 दिपसंक 29.7.2022 के द्वारा जाहिर या गया कि दिनांक 23.3.2022 व 24.3.2022 को गठित संयुक्त टीम द्वारा चालू रास्ते के प्रभावित सरा नम्बरान के खातेदारों व पक्षकारान की मौजूदगी में मुस्तकिल बिन्दुओं को आधार मानकर माइान एवं रास्ते की जांच की गई जिसमें खातेदार एवं पक्षकार उपस्थित रहे है । उक्त रिपोर्ट प्त होने पर उभय पक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई । प्रकरण में दौराने बहस नाथूलाल ओंकरमल ने जाहिर किया कि उक्त मौका रिपोर्ट से हम असहमत है चूंकि प्रार्थीगण ने अपने वास हेतु चालू रास्ते को दर्ज करने हेतु यह प्रस्ताव प्रेषित किया है जबकि अन्य बहुत सी णियां है जहां भी सडक बनी हुई है उनको शामिल नहीं किया गया है इसी प्रकार रामकरण पुत्र रदूराम कपूरिया ने जाहिर किया मेरी जमीन 4-5 खेतो में से रास्ते हेतु प्रस्तावित की है लेकिन र्थी मेरे घर पर तक जो कि लगभग 20 मीटर ही है रास्ता नहीं दे रहे है । वकील अप्रार्थी ने पनी बहस में जाहिर किया कि उक्त प्राप्त प्रस्ताव में कई खातेदार फौत हो चुके है लेकिन उनके रिसान को कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा मौका रिपोर्ट में विरोधाभाग है इसलिए प्रार्थना पत्र ारिज किया जावे । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के द्वारा करण को 2 माह में निरस्तारण करने के निर्देश की पालना हेतु निवेदन किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पक्षकारान द्वारा पेश आपत्ति व दलीलों को ान में रखते हुए प्रकरण का गहनता से अध्ययन किये जाने पर पाया गया कि तहसीलदार ाहपुरा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विरोधाभास है तथा खातेदारों में आपसी सहमति नहीं है कुछ ातेदारों के पहुँच मार्ग होने से सहमत है तथा कुछ खातेदार जिनके अपने आवास तक पहुँच नहीं ने से अपनी भूमि में से रास्ता दर्ज करने में असमति जाहिर की है साथ ही प्रकरण में यह भी या गया कि कुछ खातेदार फौत हो चुके है । इस प्रकार प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त स्ताव अनुसार रिकार्ड में रास्ता दर्ज हेतु विरोधाभास होने के कारण राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज रना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रकरण में विरोधाभाषी तथ्यों की नये सिरे से जांच कर पुनः पेश करने की स्वतंत्रता साथ प्रकरण राज0 भू राजस्व अधिनियम. 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण पोषणीय हीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/9/2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)